

कार्यालय जिला पंचायत, सीतापुर।

अनुज्ञा पत्र / स्वीकृति



दिनांक: 31/1 / मानचित्र लि. - जिला/2023-2024

दिनांक 19/07/23

संबंधित:

एम (AIM)

डी नोडगट सफीकुब्जा फरीदी

मुन पी अनावास्तुल हक फरीदी

पता: डांडी सिधौली सीतापुर।

अपन द्वारा आम बांडी प्रस्ताव व तहसील सिधौली जनपद सीतापुर के क्षेत्रान्तर्गत स्थित गूनि गाट सख्य 1889, 1891, 1892, 1890, 1894, 1896, 1898, 1899, 1877 एवं 2075 पर प्रस्तावित शैक्षणिक भवन मानचित्र की स्वीकृति हेतु दिने नये आवेदन पर शायक विचारोपरान्त जिला पंचायत सीतापुर की भवन निर्माण उपविधि दिनांक 2012, 2019 के उपबंधों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. गू सख्य की सीमा से बाहर कोई निर्माण अनुमत्य नहीं होगा।
2. उपरोक्त स्वीकृत मानचित्र में अथवा निर्माण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एवं परिवर्धन बिना जिला पंचायत सीतापुर की स्वीकृति नहीं किया जायेगा।
3. स्वीकृत मानचित्र तथा नरमिट किसी भी प्रशा में एवाधिक अगिलेख के रूप में मान्य नहीं होगा तथा न ही इस रूप में प्रयुक्त किया जायेगा।
4. प्रस्तावित स्वीकृत मानचित्र संरचना के अनुरूप ही मूलभूत षत विकास कराया जायेगा। भविष्य में अतिरिक्त कार्य कराये जाने हेतु मूग मानचित्र स्वीकृत कतना अनिवार्य होगा।
5. प्रस्तावित मानचित्र में प्रदर्शित क्षेत्रफल सार्वजनिक उपयोग की भूमि जैसे चकमन, नाली, खालज, मत्तल, बसगाह व नदीन परती भूमि एवं सीतापुर महाभोजना/नारीय क्षेत्र से आच्छादित भूमि यथा लोक निर्माण विभाग, सिविल विभाग, विद्युत विभाग, अग्नि शकल विभाग, कस्बिमान व अन्य शासकीय अर्थशासकीय विभाग की भूमि होने पर स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
6. यदि भूमि सम्बन्धी किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो जिला पंचायत सीतापुर इसका उत्तरदायी नहीं होगा तथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा। उचित होगा कि सम्बन्धित तहसील से भूमि सम्बन्धी ज्ञापन प्राप्त कर ले। विवाद की प्रशा में न्यायिक क्षेत्रधिकार जिला एवं सत्र न्यायालय सीतापुर होगा।
7. उपविधि नियमों एवं शर्तों के अधीन अनुज्ञा जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिये वैध एवं मान्य होगी।
8. सेन वाटर टर्मिनेटिंग पद्धति को अनिवार्य रूप से करवा होगा।

कमरा

Manager/Secretary  
AIM

Bar, Sidhau, Sitapur-261303

Bar, Sidhau, Sitapur-261303

- 0 परिष्कार खेती कि खेतों का सतत शासन द्वारा सतत विपणन निर्मित शासनादेश सतत हमारी टीम।
- 10 परिष्कार खेती कि स्वीकृत मानचित्र के संशोधन के लिए निर्माण में शामिल निम्नलिखित क्षेत्रों के सुदूरस्थल
- 11 परियोजनाओं के सुदूरस्थल मानचित्रों के अनुसार ही कसया जायगा। यह सुदूरस्थल परियोजनाओं के अन्तर्गत
- 12 परिष्कार खेती कि सतत निर्माण हेतु निर्धारित अवधि के भीतर ही स्वीकृत मानचित्रों के अनुसार निम्नलिखित
- कार्य पूर्ण कसये जाये। निम्नलिखित जिला पंचायत सीतापुर से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- अन्यथा की दशा में मानचित्र सतत निरस्त समझा जायेगा।

*[Handwritten Signature]*  
 दिनांक 17/12/23  
 जिला पंचायत सीतापुर  
 जिला पंचायत सीतापुर

*[Handwritten Signature]*  
 दिनांक 21/07/23  
 जिला पंचायत सीतापुर  
 जिला पंचायत सीतापुर

पंजाब/दिनांक: सततपरि।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक करवाती हेतु।




1. जिला पंचायत अधिकारी, जिला पंचायत सीतापुर को सूचनाएं।
2. संबंधित अन्य अधिकारी, जिला पंचायत सीतापुर को इस आशय से कि सतत की स्वीकृति के अनुसार ही निर्माण सुनिश्चित कसये।

*[Handwritten Signature]*  
 जिला पंचायत  
 जिला पंचायत सीतापुर।

*[Handwritten Signature]*  
 जिला पंचायत अधिकारी,  
 जिला पंचायत सीतापुर।

*[Handwritten Signature]*  
 Manager/Secretary  
 AIM  
 Bar, Sirhau, Sitapur-261303

*[Handwritten Signature]*  
 जिला पंचायत  
 Bar, Sirhau, Sitapur-261303



**PROJECT PARTICULARS**

Project Name: **100' PLANNING PLAN**

Client: **100' RECEPTION PLAN**

Location: **100' OFFICE PLAN**

Scale: **1:100**

Date: **10/10/2023**

Drawn by: **100' CASE DESIGN PLAN**

Checked by: **100' OFFICE PLAN**

Approved by: **100' OFFICE PLAN**

Project No: **100' OFFICE PLAN**

Revision: **100' OFFICE PLAN**

Notes: **100' OFFICE PLAN**

1. All dimensions are in meters unless otherwise specified.

2. The drawings are to be used for reference only.

3. The drawings are not to be used for construction without the approval of the architect.

4. The drawings are not to be used for any other purpose without the approval of the architect.

5. The drawings are not to be used for any other purpose without the approval of the architect.

6. The drawings are not to be used for any other purpose without the approval of the architect.

7. The drawings are not to be used for any other purpose without the approval of the architect.

8. The drawings are not to be used for any other purpose without the approval of the architect.

9. The drawings are not to be used for any other purpose without the approval of the architect.

10. The drawings are not to be used for any other purpose without the approval of the architect.

100' OFFICE PLAN

100' OFFICE PLAN